



2026:AHC-LKO:42092

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4400 वर्ष 2026

राधेलाल

....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ए.सी.एस. / प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ और एक अन्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

प्रार्थी(गण) के लिए अधिवक्ता	: धर्मेन्द्र कुमार यादव, श्रद्धा चतुर्वेदी, योगेश कुमार मिश्र
विपक्षी पक्ष(गण) के लिए अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति

आज दायर किया गया पूरक शपथ-पत्र पत्रावली पर लिया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 748 वर्ष 2015, धारा 147, 148, 504, 506, 427, 308 आईपीसी, थाना बाजारशुक्ला, जिला अमेठी के तहत विचारण के दौरान प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण कारणों से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जांच अधिकारी ने ठोस सबूत जुटाए बिना ही आरोप पत्र दाखिल कर दी है, जबकि प्रार्थी अपराध करने में कभी शामिल नहीं था। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि चोट की रिपोर्ट के अनुसार, चोटें साधारण प्रकृति की हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थी ने एक पूरक हलफनामा दायर कर अपने आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है और इस स्पष्ट किए गए आपराधिक इतिहास के अलावा, उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। प्रार्थी 10.5.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी इस अपराध में शामिल है, इसलिए उसे ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि चोटें साधारण प्रकृति की हैं; प्रार्थी के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ-पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है; प्रार्थी 10.5.2026 से जेल में बंद है और उसने यह वचन दिया है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सज़ा की गंभीरता, साक्ष्य की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत का उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में शामिल प्रार्थी **राधेशलाल** को इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- (1) प्रार्थी जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर, दबाव डालकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन के साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। उसे तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है।
- (3) प्रार्थी को (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने, और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा; और
- (4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित न्यायालय द्वारा जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत अर्जी के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का असर डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

राम मूर्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।